सत्र प्र० क्रमांक–79/2022 शासन विरुद्ध मोमिन वगैरह

Witness No.....13................ for ...... अभियोजन साक्ष्य .... Deposition taken

the ... 23.09.2024...........day of ...... सोमवार ....Witness's apparent age... 43 वर्ष

States on affirmation ... शपथपूर्वक ...... my name is ....जितेन्द्र वर्मा............

son of ....श्री बी०एस०वर्मा...... Occupation ....निरीक्षक............

Address ...... थाना डोंगरगढ़ जिला –राजनांदगांव छ०ग० ।

समय : 01.00 बजे

नोट– अभियुक्त मोमीन वर्मा को केन्द्रीय जेल दुर्ग से संपर्क कर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित कराया गया ।

1– मै मई 2022 से जून 2023 तक थाना लालबाग मे थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था।

2– दिनांक 14.07.2022 को रात्रि के 11.30 बजे शैलेश यदु ने थाना लालबाग मे आकर ग्राम बागतरई के भुवन वर्मा के खेत के मेढ़ के पास अज्ञात पुरूष की शव मिलने की सूचना दिया था, तब मैने शैलेश यदु के बताये अनुसार थाना लालबाग मे मर्ग क्रमांक 58/2022 दर्ज किया है, उस मर्ग इंटीमेशन मे मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–01,** और हस्ताक्षर को ब से ब भाग से चिन्हित किया गया ।

3– सूचना मिलने पर रात को ही मै अपने स्टॉफ के साथ ग्राम बागतराई जाकर अज्ञात शव को मेडिकल कॉलेज पेन्ड्री राजनांदगांव लाकर मरचुरी में रखा था । मेडिकल कॉलेज पेन्ड्री राजनांदगांव मे दिनांक 15.07.2022 को 11.15 बजे अज्ञात पुरूष शव की पहचान गवाह दुजराम मांडले, हरिश मांडले के समक्ष करवाया था । रामकुमार मांडले अज्ञात पुरूष शव को देखकर अपने पुत्र हीरामन मांडले को पहचाना था, उस पहचान पंचनामा तैयार किया था, उस पहचान पंचनामा मे मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–03,** और हस्ताक्षर को स से स भाग से चिन्हित किया गया ।

4– दिनांक 15.07.2022 को ही मेडिकल कॉलेज पेन्ड्री राजनांदगांव में मृतक हीरामन

मांडले की शव पंचनामा के लिए गवाहो को नोटिस दिया था, उस नोटिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–04,** और हस्ताक्षर को इ से इ भाग से चिन्हित किया गया ।

5– मैने उसी समय हीरावन मांडले का शव पंचनामा गवाह के समक्ष तैयार किया है, उस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–05,** और हस्ताक्षर को इ से इ भाग से चिन्हित किया गया।

6– मैने उसी दिन हीरावन मांडले की शव की पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज पेन्ड्री राजनांदगांव को आवेदन दिया था, उस आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–29,** और हस्ताक्षर को अ से अ एवं ब से ब भाग से चिन्हित किया गया ।

7– मैने मृतक हीरावन मांडले की पोस्टमार्टम के लिए आरक्षक सूर्यकांत सोनकर को सौंप दिया था, इसलिए उसका कर्तव्य प्रमाण पत्र दिया हूं, उस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–30,** और हस्ताक्षर को अ से अ भाग से चिन्हित किया गया ।

8– आरक्षक सूर्यकांत सोनकर ने पोस्टमार्टम कराने के बाद उस शव को उसके पिता रामकुमार मांडले को सुपुर्दनामा मे दे दिया था । दिनांक 15.07.2022 को ग्राम बागतराई जहां शव मिली थी, वहा का नजरी नक्शा गवाहो के समक्ष तैयार किया था, उस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–02,** और हस्ताक्षर को ब से ब भाग से चिन्हित किया गया ।

9– दिनांक 16.07.2022 को मैने थाना लालबाग में अपराध क्रमांक 410/2022 धारा 302, 201 भा०दं०सं० के अंतर्गत अज्ञात आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया हूं, उस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–31,** और हस्ताक्षर को अ से अ एवं ब से ब भाग से चिन्हित किया गया ।

10– दिनांक 19.07.2022 को विवेचना के दौरान थाना लालबाग में गवाह कृष्णा भारती और अजय वर्मा को थाना लालबाग मे उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया था, उस नोटिस मे मेरा हस्ताक्षर है, अजय वर्मा के नोटिस को **प्र०पी०–24** और हस्ताक्षर को ब से ब भाग से चिन्हित किया गया और कृष्णा भारती के नोटिस को **प्र०पी०–32** और हस्ताक्षर को अ से अ भाग से चिन्हित किया गया ।

11– दिनांक 19.07.2022 को थाना लालबाग परिसर मे 10.10 बजे कृष्णा भारती और अजय वर्मा के समक्ष अभियुक्त् मोमीन वर्मा उर्फ मोना का मेमोरेण्डम कथन उनके बताये

अनुसार लेखबद्ध किया हूं, उस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–12,** और हस्ताक्षर को ब से ब भाग से चिन्हित किया गया । मोमीन वर्मा ने अपने ही घर में हीरावन मांडले की हत्या डिकेश्वर के साथ करना बतायी थी और सबली को आलमारी के पीछे छिपाकर रखना और चलकर बरामद कर देना बतायी थी ।

12– दिनांक 19.07.2022 को थाना लालबाग परिसर मे 11.05 बजे कृष्णा भारती और अजय वर्मा के समक्ष अभियुक्त् डिकेश्वर वर्मा का मेमोरेण्डम कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया हूं, उस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–15,** और हस्ताक्षर को ब से ब भाग से चिन्हित किया गया । अभियुक्त् डिकेश्वर वर्मा ने हीरावन मांडले की हत्या मोमीन वर्मा के घर में करना बताया था और घटना के समय पहने हुए कपड़ा टीशर्ट, लोवर को अपने घर मे रखना और चलकर बरामद कर देना बताया था ।

13– दिनांक 16.07.2022 को ही आरोपी मोमीन वर्मा उर्फ मोना से गवाह कृष्णा भारती और अजय वर्मा के समक्ष अपने घर से निकालकर देने पर एक लोहे की सबली, चूल्हे मे जला हुआ साड़ी, आंगन मे पड़े एक नग सीमेंट का ईट को जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया हूं, उस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–13,** और हस्ताक्षर को ब से ब भाग से चिन्हित किया गया ।

14– उसी दिन उन्ही गवाहो के समक्ष डिकेश्वर वर्मा से ग्राम कुलिहारी थाना डोंगरगढ़ से काला सफेद बैगनी पट्टीदार एक टीशर्ट, सफेद छिटदार काले रंग का एक लोवर को जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया हूं, उस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–16,** और हस्ताक्षर को ब से ब भाग से चिन्हित किया गया ।

15– उसी दिन डिकेश्वर वर्मा से उन्ही गवाहो के समक्ष मोटर सायकल सी०जी० 08 वाय 9710 को जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया हूं, उस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–17,** और हस्ताक्षर को ब से ब भाग से चिन्हित किया गया ।

16– उसी दिन थाना परिसर लालबाग मे अभियुक्त डिकेश्वर वर्मा से उन्ही गवाहो के समक्ष एक ओप्पो कंपनी का एंडराइड टच स्क्रीन की मोबाईल सिम नंबर 6265066569 IMEI

नंबर 861144057710414 एवं 861144056610406 को जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया हूं, उस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–18,** और हस्ताक्षर को ब से ब भाग से चिन्हित किया गया ।

17– उसी दिन थाना लालबाग परिसर मे अभियुक्त मोमीन वर्मा उर्फ मोना से एक सैमसंग कपंनी की काले रंग की एंडराइड टच स्क्रीन जियो कंपनी की सिम नंबर 7987431996 IMEI नंबर 359260573298855/01 एवं 359950133298854/01 को जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया हूं, उस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–19,** और हस्ताक्षर को ब से ब भाग से चिन्हित किया गया ।

18– दिनांक 16.07.2022 को डॉक्टर के द्वारा मृतक हीरावन मांडले की ब्लड, रक्त से भीगा हुआ कॉटन गाज, सामान्य कॉटन गाज, मृतक हीरावन की जींस फूल पैंट, अंडरवियर, शेण्डो बनियान, फूल शर्ट सीलबंद को आरक्षक सूर्यकांत सोनकर से गवाहो के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया हूं, उस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–33,** और हस्ताक्षर को अ से अ भाग से चिन्हित किया गया ।

19– दिनांक 19.07.2022 को अभियुक्त मोमीन वर्मा के घर की नजरी नक्शा गवाह अजय वर्मा एवं कृष्णा भारती के समक्ष तैयार किया है, उस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–25,** और हस्ताक्षर को ब से ब भाग से चिन्हित किया गया ।

20– दिनांक 18.07.2022 को रामकुमार मांडले को थाना लालबाग मे उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया था, उस नोटिस मे मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–07,** और हस्ताक्षर को ब से ब भाग से चिन्हित किया गया ।

21– दिनांक 23.08.2022 को थाना लालबाग मे उपस्थित होने के लिए रजनी बाई, निरंजन वर्मा, दानी मांडले, हरिश मांडले को नोटिस दिया था, उस नोटिस मे मेरा हस्ताक्षर है, जिसे क्रमशः **प्र०पी–08, 09, 10, 11** और हस्ताक्षर को ब से ब भाग से चिन्हित किया गया ।

22– दिनांक 23.08.2022 को गुलाबचंद वर्मा को थाना लालबाग मे उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया था, उस नोटिस मे मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–26** और हस्ताक्षर को ब से ब

भाग से चिन्हित किया गया ।

23– दिनांक 18.07.2022 को थाना लालबाग मे उपस्थित होने के लिए कुमारी यामिनी मांडले, दूजराम मांडले, राधा बाई मांडले को नोटिस दिया था, जिसे क्रमशः **प्र०पी–34, 35, 36** और हस्ताक्षर को अ से अ भाग से चिन्हित किया गया ।

24– दिनांक 19.07.2022 को अभियुक्त् डिकेश्वर वर्मा ने हत्या करने के बाद मृतक हीरावन की चप्पल, मोबाईल को तोड़कर ग्राम कोलिहारी के गांव के नदी में फेंक देना बताया था, उसकी तलाशी किया गया, जाली से भी खोजा गया नही मिला, उसकी पंचनामा गवाह कृष्णा भारती और अजय वर्मा के समक्ष तैयार किया हूं, उस पंचनामा मे मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–20,** और हस्ताक्षर को ब से ब भाग से चिन्हित किया गया ।

25– दिनांक 19.07.2022 को ही 12.00 बजे आरोपी मोमीन वर्मा के मकान के चूल्हे में जला हुआ साड़ी पिघला हुआ था, उस संबंध मे गवाह अजय वर्मा और कृष्णा भारती के समक्ष पंचनामा तैयार किया हूं, उस पंचनामा मे मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–21,** और हस्ताक्षर को ब से ब भाग से चिन्हित किया गया ।

26– उसी दिन मैने अभियुक्त मोमीन वर्मा और डिकेश्वर वर्मा को उन्ही गवाहो के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया हूं, उस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे क्रमशः **प्र०पी–22 एवं 23,** और हस्ताक्षर को ब से ब भाग से चिन्हित किया गया । मोमीन वर्मा की गिरफ्तारी की सूचना उसी दिन हरि वर्मा को दिया था और डिकेश्वर की गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नी कुन्ती बाई को दिया था, उस सूचना पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे क्रमशः **प्र०पी–37 एवं 38** और हस्ताक्षर को अ से अ भाग से चिन्हित किया गया ।

27– दिनांक 24.09.2022 को थाना लालबाग में मृतक हीरावन मांडले की 13 नग पोस्टकार्ड साईज के रंगीन फोटो ग्राफ, एक नग डी०वी०डी० 4.7 जी०बी० जिसमें मृतक हीरावन मांडले की फोटो ग्राफ्स और आरोपीगण से पूछताछ कर ली गई मेमोरेण्डम कथन और जप्ती की कार्यवाही की विडियो ग्राफ को गवाह भूपेन्द्र वर्मा, नजमीन खान के समक्ष आरक्षक नरेन्द्र झा रक्षित केन्द्र राजनांदगांव से जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया हूं, उस पर

मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–39,** और हस्ताक्षर को अ से अ भाग से चिन्हित किया गया।

28– दिनांक 08.10.2022 को ग्राम कोलिहापुरी में डिकेश्वर वर्मा की पत्नी कुन्ती बाई से मोटर सायकल क्रमांक सी०जी० 08 वाय 9710 की आर०सी०बुक, डिकेश्वर वर्मा की ड्रायविंग लायसेंस को बलराम दास वर्मा और नंदकुमार के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया हूं, उस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–26** और हस्ताक्षर को ब से ब भाग से चिन्हित किया गया।

29– दिनांक 15.07.2022 को शैलेन्द्र यदु, दिनांक 18.07.2022 को रामकुमार मांडले, कुमारी यामिनी मांडले, दिनांक 19.07.2022 को कृष्णा भारती, अजय वर्मा, विशाल निषाद, दिनांक 23.08.2022 को दूजराम मांडले, रजनी बाई मांडले, राधा बाई मांडले, निरंजन वर्मा, दानी मांडले, हरिश मांडले, गुलाब मांडले का बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया हूं।

30– दिनांक 27.07.2022 को मोमीन वर्मा से जप्त लोहे की सबली लंबाई 33 इंज, माथे की गोलाई 2–1/2(ढाई इंच) बीच की गोलाई ढाई इंच, फल की चौड़ाई (चपटा) लगभग एक इंच, 01 नग सीमेंट कलर की ईट लंबाई 8 इंच, चौड़ाई 4 इंच, मोटाई 3 इंच, मोमीन वर्मा की साड़ी, मृतक के शव को लपेटा गया बेडशीट, चूल्हे मे आग लगाकर नष्ट किया गया प्लास्टिकनुमा अवशेष, दीवार में मृतक के खून जैसे धब्बे को खरोचकर निकालकर घटना स्थल के पास की दीवार को खरोच कर सादी कांक्रीट युक्त दो प्लास्टिक डिब्बे मे सीलबंद जप्त और आरोपी डिकेश्वर वर्मा से जप्त की गई काले सफेद गुलाबी पाटीदार कलर की टीशर्ट की क्वेरी रिपोर्ट के लिए मेडिकल कॉलेज पेन्ड्री राजनांदगांव को ज्ञापन के साथ भेजकर यह क्वेरी रिपोर्ट ज्ञापन भेजकर मांगा गया था कि क्या मृतक हीरावन के सिर, चेहरे मे आयी चोट, सबली एवं ईटा से आना संभव है, क्या सबली मे जगह जगह खून जैसे धब्बे दिख रहे है वह धब्बे मृतक के है अथवा नही, आरोपी मोमीन वर्मा की पहनी हुई साड़ी एवं शव को ढकने में इस्तेमाल की गई बेडशीट को अपने घर के चूल्हे में जला कर नष्ट किया गया है जिसकी प्लास्टिकनुमा अवशेष चूल्हे से निकालकर जप्त किया गया है, क्या जप्त अवशेष साड़ी/बेडशीट मोमीन वर्मा की साड़ी और बेडशीट की है, अभियुक्त डिकेश्वर वर्मा से जप्त की

साक्ष्य पत्रक लगातार–साक्षी जितेन्द्र वर्मा

गई टीशर्ट और लोवर मे लगी खून जैसे धब्बे क्या मृतक हीरावन के खून है अथवा नही, उस ज्ञापन मे मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–40,** और हस्ताक्षर को अ से अ भाग से चिन्हित किया गया।

31– मृतक हीरावन मांडले की ब्लड प्रदर्श A, मृतक हीरावन मांडले की रक्त से भीगा हुआ कॉटन ग्वाज प्रदर्श B, सामान्य कॉटन ग्वाज प्रदर्श C, मृतक हीरावन मांडले का पहना हुआ कपड़ा काले रंग का जींस फूल पैंट, काले रंग का अंडरवियर लाल सफेद नीले धारी वाला शेण्डो बनियान सफेद रंग का शर्ट फूल अस्तीन वाला प्रदर्श D, लोहे की सबली प्रदर्श E, मोमीन वर्मा के द्वारा पहनी हुई साड़ी जिसे चूल्हे मे आग लगाकर नष्ट किया गया और उसकी प्लास्टिकनुमा अवशेष प्रदर्श F, सीमेंट कलर की ईट प्रदर्श G, घटना स्थल से मोमीन वर्मा की घर की दीवार पर लगे रक्त जैसे धब्बे को खरोचकर निकाला गया कांक्रीट प्रदर्श H और सादी कांक्रीट प्रदर्श I, डिकेश्वर वर्मा की काले सफेद बैगनी पट्टीदार टीशर्ट एक काले सफेद रंग का लोवर प्रदर्श J की रासायनिक परीक्षण के लिए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के द्वारा दिनांक 04.08.2022 को संचालक राज्य न्यायालयीक विज्ञान प्रयोग शाला रायपुर भेजा गया था, उस ज्ञापन को **प्र०पी०–41** से चिन्हित किया गया।

32– प्रदर्श A एवं B मे रक्त समूह क्या है ? प्रदर्श F मे क्या मानव रक्त विद्यमान है ? प्रदर्श D, E, H, J मे मानव रक्त विद्यमान है यदि है तो कौन से रक्त समूह का है और प्रदर्श D, E, H, J से प्रदर्श A एवं B से मिलान करके क्या सभी प्रदर्श एक ही रक्त समूह के है ? की अभिमत देने के लिए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के द्वारा दिनांक 04.08.2022 को संचालक राज्य न्यायालयीक विज्ञान प्रयोग शाला रायपुर भेजा गया था।

33– संचालक राज्य न्यायालयीक विज्ञान प्रयोग शाला रायपुर को भेजा गया ज्ञापन की पावती को **प्र०पी०–42** से चिन्हित किया गया।

34– मृतक हीरावन की पतासाजी करने हेतु मोबाईल नंबर 8827573118, 8817779726, 8889455067, 9340294773, 7887431996, 6265066569 की सी०डी० आर०/एस०डी० आर०/सी०ए०एफ० वर्तमान लोकेशन और उसकी IMEI नंबर

का कॉल डिटेल निकालने के लिए नोटशीट चलाया था और कॉल डिटेल के लिए नोडल अधिकारी सायबर राजनांदगांव को दिया था, उस नोटशीट मे मेरा हस्ताक्षर है, जिसे **प्र०पी–43,** और हस्ताक्षर को अ से अ भाग से चिन्हित किया गया ।

नोटः– अभियुक्त मोमीन वर्मा के मूल अधिवक्ता मनोज चौधरी के नही होने के कारण उसके कनिष्ठ अधिवक्ता नितिन साहू के द्वारा प्रतिपरीक्षण के लिए समय चाहने पर साक्षी का साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के लिए रोका गया ।

प्रतिपरीक्षण स्थगित समयः–02.20 बजे

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया । **मेरे निर्देशानुसार टंकित ।**

सही/–
(थॉमस एक्का)
अपर सत्र न्यायाधीश
राजनाँदगांव (छ०ग०)

सही/–
(थॉमस एक्का)
अपर सत्र न्यायाधीश
राजनाँदगांव (छ०ग०)

सही/–
साक्षी के हस्ताक्षर